

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
249/2025

दायर दिनांक
05.05.2025

निर्णय दिनांक
05.05.2025

1. अण्छी पत्नी बालू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. ईन्द्रजीत पुत्र बालू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. कमला देवी पत्नी उदयलाल नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. किशन पुत्र उदयलाल नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. जगदीश पुत्र बालू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
6. टम्मा देवी पत्नी शंकरलाल आचार्य, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
7. परसमरा पुत्र उदयलाल नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
8. पारस पुत्री बालू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
9. ब्रहमोहन पुत्र बालू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
10. मंजु पुत्री बालू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
11. माया पुत्री उदयलाल नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
12. मोनू पुत्र बालू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
13. राधेश्याम पुत्र बालू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
14. लाड पुत्री माधू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
15. शान्ति पुत्री उदयलाल नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
16. सीता पुत्री उदयलाल नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
17. सीमा पुत्री उदयलाल नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
18. सोनू पुत्र उदयलाल नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
19. सोनल पुत्री बालू नाई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. किशन पुत्र हेमराज भाम्भी, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. बंशीलाल पुत्र हरलाल भाम्भी, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्यामलाल पुत्र हरलाल भाम्भी, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. जीवनसिंह पुत्र शोभाग सिंह महाजन, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राकेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार व्यास, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं

∴ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 695 रकबा 1.8968 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और विपक्षीगण के पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। मैंने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काशतकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 695 रकबा 1.8968 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा